

190

संख्या- ३२७ /2015/1246/69-1-15-14(आईएचएसडीपी-83)(1)

प्रेषण

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
३०प्र० शासन।

स्त्रीवा गौतम

निटेशक

राज्य नगरीय विकास अभियान,
उपरोक्त लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उच्चमंडल कार्यक्रम विभाग।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आईएच0एस0डी0पी0 योजनान्वार्ता अनुसृति वर्ष के लाभार्थियों हेतु जनपद-सोनभद्र की 01 परियोजना हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय उमीकृति।

गाहौदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5384/76/एका/आईएच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 20 मार्च 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आईएच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद-सोनभद्र की नगर निवाय-दुर्दी की 445 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वगे के लाभार्थियों के 314 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-577/2015/1246/69-1-15-14(आईएचएसडीपी-83)/2011, दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-12 में अंकित दो अंतर की धनराशि ₹0 468.29 लाख (रूपये चार करोड़ अष्टसठ लाख उन्तीस हजार भाव) को शासनादेश संख्या-407/2015/951-1/69-1-2015-14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में नगर निगम, लखनऊ के पी0एन0ए० में संरक्षित धनराशि में से वित्तीय वर्ष 2015-16 गे आहरित कर व्यय किये जाने की, एवं राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन इस वर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

ਲਖਨਤੁ : ਦਿਨਾਂਕ ੦੧ ਜੁਲਾਈ 2015

anakin | 2021-01-01

(469.29)

K
101716

1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्याकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
 2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 3. उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रवार का व्यावर्तन अनुगम्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएँ पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करारी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुगम्य न होगा।
 4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना रामबन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि बिन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने रत्त पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
 5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवगत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुगम्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजबोध में जगा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 6. उक्त धनराशि का आहरण राचिक/गिदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ एवं सम्बन्धित डूडा द्वारा प्रमुख राचिक/सचिव अथवा विशेष रायित, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रोतोडसाक्षरोपयान्त किया जायेगा।
 7. पत्तेक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति ए साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, दिनि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
 8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित वर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथाजियम केन्द्र व राज्य के करों की स्वातंत्र पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-298/दस-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुपरि अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रांश व राज्यांश एवं लाभार्थी अंश की अनुमन्यता की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/डूडा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किश्तों की धनराशि

- की गणना के सम्बन्ध में सूडाइडा स्वयं सब्सिड हो जाए। यदि प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ये अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूडाइडा का होगा।
10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30प्र० के बाट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों के पारे तथा वित्तीय औंगित्य के मानकों का अनुपालन सूडाइडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाट उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन द भारत सरकार की समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाट अनुपर्योगित धनराशि यहि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
 12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ आहरण की वधीन्त पर अपने लेखे का मिलान गहालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
 13. उवत्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत इन एवं प्रश्नगत परियोजना की दरैराहुतामुनसद्दि न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एग0ओ0य०० (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात् सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथादर्शक अनुबन्ध (एग0ओ0य००) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
 15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्थ के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
 16. लेवर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वा तवित रूप से किया जायेगा।
 17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अनितम होगी। भविष्य में उवत्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना रुक्षित किया जायेगा।
 18. कार्यदायी संरचा को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एस0एल0एग0ए0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप हैं एवं आमणन सहित ऊच्च किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
 19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण-इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एग0ओ0य००) लिये जाने हेतु मूहा दला रुक्षित इडा को निर्देशित किया जायेगा।
 20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर व्यय नह जाय।
 21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस वित्त जाना सूडा सुनिश्चित किया जायेगा।
 22. सूडा द्वारा शासनादेश सं0-मु0स0-29/69-1-14-14(12)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-2/2015/वी-1-925/दस-2015-23।/2011, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
लिपि
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

मुख्या- ६२५ /2015/1246(1)/69-1-15-14(आईएचएसडीपी-83)/2011, जटिलांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयग/द्वितीय, 30प्र०,२० सराजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रयग/द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/आयक्षण, जिला नगरीय विकास अभियान, सोनभद्र।
5. वित्त राजाधिन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, 30प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-३, 30प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, 30प्र० शासन।
8. बजट पकोड़/कल्याण नियोजन पकोड़, ग्रामीण कल्याण विभाग, 30प्र० शासन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, नाईनारा।
10. नगराधिकारी, कलेक्टर लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ।
12. सहायक देव मास्टर, सूडा नगर नियंत्रण नेत्र साइड पर अफलोड कराने हेतु।
13. गांधी नगर नियंत्रक राज्य नगरीय विकास अभियान।

आज्ञा से,

लिपि
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

३